राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....55/2018.....जिला.....अजमेर.....

उनवान – मै0 आर के एन्टरप्राईजेज, अजमेर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवचंन, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/02/2018	**एकलपीठ** **राजीव चौधरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी. सी. सोगानी एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री जमील जई उपस्थित। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील, अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **27.09.2017,** जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, अजमेर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक **22.07.2017,** जो कि अधिनियम की धारा 25 व 61 के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 के लिये पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा शास्ति की बकाया मांग राशि **रू0 560822/–,** की वसूली पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपलार्थी द्वारा EXCLUSIVELY BIBA COMPAYNY के Garments का विक्रय किया जाता है। अपीलार्थी आचौल्य अवधि में रू0 5153836/– का विक्रय किया है जबकि त्रेमासिक बिक्रि विवरण प्रपत्र वैट 10 में शून्य बिकी दर्शायी है। इस कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करापवंचन की श्रेणी मे माना जाकर कर व शास्ति का आरोपण किया गया। उभय पक्षीय बहस सुनी गयी । इस सम्बन्ध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि अपीलार्थी द्वारा EXCLUSIVELY BIBA COMPAYNY के Garments का विक्रय किया जाता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अंकित करते हुए की वैट 10 में अपीलार्थी द्वारा बिकी छुपाई है, करारोपण किया गया। जबकि अपीलार्थी फर्म द्वारा साफॅटवेयर डीएमएस पर क्रय विक्रय का स्टॉक संधारित किया जाता है तथा फर्म के अकाउटेंट द्वारा नोकरी छोड के जाने व समस्त रिकोड डिलिट कर दिये जाने के कारण वैट 10 में बिकी अंकित नहीं हो सकी। अपीलार्थी का करापवचंन का कोई दोषी मनोभाव नहीं था। इसके अतिरिक्त कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा बिकी अनुसार कर जमा करा दिया गया है। अतः अपील निर्णय तक शास्ति राशि पर रोक लगाने की प्रार्थना की गई। 19/02/18 लगातार.....2	

राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन अपीलार्थी की अपेक्षा विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली पर रोक प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन एवम् पक्षकारों की बहस सुनने के पश्चात् यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा कर जमा करा दिया गया है। प्रकरण के इस प्रक्रम पर जब अपील का गुणावगुण पर निस्तारण होना है तथा कर जमा करवा दिया गया है तब शास्ति की राशि की वसूली पर रोक के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन व्यवहारी अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 38(4) के अन्तर्गत प्रकरण में आरोपित शास्ति क्रमशः रू0 5,68,022/– की वसूली पर अपील निर्णय होने तक इस शर्त के साथ रोक लगायी जाती है कि वे निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में उनके समक्ष **बैक गारन्टी** प्रस्तुत करेंगे तथा अपीलीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वे प्रकरण का 3 माह में निस्तारण करना सुनिश्चित करे।

आदेश सुनाया गया।

19/02/18

(राजीव चौधरी)

सदस्य